कार्यालय-नगर पालिका परिषद कुशीनगर, जनपद - कुशीनगर

पत्रांक 122(III) /न0पा0प0कु0/2017–18 दिनांक 02. फरवरी 2018

अतिअल्पकालिक ई–निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद कुशीनगर जनपद कुशीनगर मे 14वॉ वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग द्वारा जनहित में निम्न निर्माण कार्य कराया जाना है। उक्त हेतू नगर पालिका परिषद कुशीनगर (नगर पंचायत कुशीनगर) मे पंजीकृत ठेकेदारों से ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है,उक्त हेतू निविदा दिनॉक 03.02.2018 से दिनॉक 14.02.2018 तक आन लाईन बेवसाइड http://etender.up.nic.in पर सायं 5.00 बजे तक डाउन लोड कर अपलोड की जा सकती है। ई – निविदा के सम्बन्ध में निविदादाता कार्यालय समय मे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उक्त निविदा दिनॉक 15.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

1	निविदा प्रकाशित होने की तिथि	03.02.2018 (सायं 5.00 बजे)
2	निविदा डाउन लोड करने की तिथि	03.02.2018 (सायं 5.00 बजे)
3	निविदा भरने की तिथि	03.02.2018 (सायं 5.00 बजे)
4	निविदा बन्द होने की तिथि	14.02.2018 (सायं 5.00 बजे)
5	निविदा खोलने की तिथि	15.02.2018 (प्रातः 11.00 बजे)

1– जल निकासी/वर्षा जल निकासी 14 वॉ वित्त आयोग।

क0 स0	कार्य का नाम/कार्य स्थल	आगणन लाख रूपया	जमानत की धनराशि	निविदा शुल्क	कार्य की अवधि
1	वार्ड न0 26 अमिय त्रिपाठी नगर मे निर्माण नाला पडरौना रोड नगर पालिका गेट से अकबर के मकान तक।	2537412.00	253741.00	2600.00	30 दिन
2	कसया सपहा मार्ग पर निर्माण नाला सपहां रोड नहर से मथौली गेट तक।	2475060.00	247506.00	2500.00	30 दिन

राज्य वित्त आयोग

3	वार्ड न0 21 में शिव प्रसाद के घर से धनश्याम शर्मा तक पाईप लाईन विस्तार।	1,23,725.00	12,373.00	150.00	30 दिन
4	वार्ड न0 21 मे श्री जीतु गुप्ता से रमेश गुप्ता तक पाईप लाईन विस्तार।	1,42,662.00	14,266.00	150.00	30 दिन
5	वार्ड न0 21 मे पथिक निवास से नहर तक पाईप लाईन विस्तार।	2,71,438.00	27,144.00	300.00	30 दिन

नियम एवं शर्तेः–

1. ठेकेदारो के कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य स्थल एवं कार्य समाप्ति की फोटोग्राफी कर के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. यदि कोई निविदा दाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्व अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव डालता है, तो प्रश्नगत निविदा दाता के न्यूनतम दरो की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
3. किसी निविदा को आंशिक या पूर्ण रुप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कुशीनगर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

साबिरा खातून
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद कुशीनगर
जनपद-कुशीनगर

4. इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एव तकनीक त्रुटि के कारण टुटफुट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से पांच वर्ष तक नियमानुसार उसका रख रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
5. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिसप्ले वोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण , कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
6. निविदादाता को निविदा के साथ जमानत के रूप मे 10 प्रतिशत एफ.डी.आर./एन.एस.सी./नगद जमा कर विभागीय रशीद अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कुशीनगर के पक्ष मे बन्धित हो जमा करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता टेण्टर फार्म मूल्य नगद कैश अथवा ड्राफ्ट अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद कुशीनगर के पक्ष मे जमा करना होगा।
8. निविदादाता के फर्म का जी.एस0टी. रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही साथ जी0एस0टी0 कटौती शासनादेश के अनुसार किया जायेगा।
9. निविदादाता का हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा खुलने के पूर्व सभी मूल प्रपत्र कार्यालय नगर पालिका परिषद कुशीनगर मे जमा करना होगा,अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
11. सशर्त निविदाए स्वीकार नही की जायेगी।
12. निविदादाता को नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कुशीनगर/किसी भी कार्यदायी संस्था मे पॉच वर्ष रखरखाव कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न कराना अनिर्वाय होगा।
13. निविदा स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध तहरीर कराना होगा।
14. समस्त विवादो का न्यायिक क्षेत्र कुशीनगर मे होगा।
15. कार्य के निरीक्षण करने का अधिकार,जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/अध्यक्ष,/अधिशासी अधिकारी/अवर अभियन्ता को प्राप्त होगा।
16. बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद कुशीनगर
जनपद – कुशीनगर

साबिरा खातुन
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद कुशीनगर
जनपद – कुशीनगर

पत्र संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी, कुशीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

2– विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान व आज गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि इसका प्रकाशन कुशीनगर संस्करण में करते हुए भुगतान हेतु विल दो प्रतियो में प्रस्तुत करे।

3– एन0आई0सी0 कुशीनगर को बेवसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

4– नोटिस वोर्ड नगर पालिका परिषद कार्यालय पर चस्पा।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद कुशीनगर
जनपद – कुशीनगर